ज्ञान कथा भाग–8

आज महीने की पहली तारीख है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को हम लोग एक विशेष कार्यक्रम रखते हैं जिसे ज्ञानकथा कहते है। आज हम उसी विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसकी पृष्ठभूमि से आप भलीभांति परिचित हैं। कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। यह ज्ञानकथा का आज आठवां संस्करण है। अब तक हम लोग पिछले सात भागों पर चर्चा कर चुके हैं। संक्षेप में पिछले ज्ञान कथा का सारांश हम आप लोगों के बीच रखना चाहेंगे। थोड़ी पुनरावृति भी हो जाएगी और फिर उसी क्रम में हम लोग इस ज्ञान कथा की आठवीं कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे माला में अनेक फूल एक साथ जुड़े होते हैं वैसे ही पहली से लेकर आज तक की यह आठवीं कड़ी आपके सामने हमने रखी है।

पहले हम आज की विशेष परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। आज दुनिया सही दिशा में नहीं जा रही है। लोगों का नैतिक पतन बहुत हो चुका है। आर्थिक संपन्नता चाहे जैसे भी हो, कोई भी नीति नियम से आप मजबूत बने हैं, इसी को समाज में आज सफलता का आधार माना जाने लगा है। यानी पैसा ही सब कुछ है। अर्थ उपार्जन को जीवन का लक्ष्य बना लिया है लोगों ने। समाज में सम्मान भी ऐसे ही लोगों को मिलता है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो और सामाजिक रुप से दबंग। नैतिकता का कोई नामोनिशान नहीं बचा है और यदि कोई होंगे भी तो वह खुद को बचाने में ही लगे होंगे। इस गिरती हुई सामाजिक व्यवस्था को बचाने लायक वे नहीं बचे होंगे।

वर्तमान समाज पतन की पराकाष्ठा पर है। चारों युगों में यह सबसे अंतिम युग कलयुग का चल रहा है और मुझे लगता है कि यह पतन की पराकाष्ठा है। जब जब भी समाज में विकृति आई है, सज्जनों का जीवन जीना दूभर हुआ है, और फिर जब नैतिकता का पतन होता है तो इस व्यवस्था को बचाने के लिए प्रकृति, अथवा स्वयं ईश्वर इस व्यवस्था को बचाते हैं। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि यह परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होता है अथवा ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार लेकिन हमें लगता है कि अब युग परिवर्तन अवश्य ही होगा और यह हम लोगों को ही करना पड़ेगा।

अभी तक हम लोगों ने समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस विषय में थोड़ी बहुत चर्चा की है। प्रवृत्ति के आधार पर कुछ लोग सामाजिक नियमों को मान कर चलते हैं और कुछ लोग सामाजिक नियमों को नहीं मानते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही देखा जा रहा है। सामाजिक नियमों को मानकर चलने वालों को आप दैवीय प्रवृत्ति के लोग कह सकते हैं और जो सामाजिक नियमों को मानकर नहीं चलते हैं उन्हें आप

आसुरी प्रवृत्ति के लोग कह सकते हैं। हमारे जन्म लेने का कुछ उद्देश्य होता है। समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करना ही हमारे जन्म लेने का उद्देश्य होता है। उद्देश्यहीन जीवन निरर्थक है। मैंने पिछले संस्करण में भी इस विषय पर चर्चा की थी। देवासुर संग्राम का उदाहरण देकर हमने आप लोगों के सामने लक्ष्य रखा था कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में हम भले ही खुद कुछ ना कर सके लेकिन हमारा प्रयास इन दैवीय शक्तियों को मजबूत करने में होना चाहिए। मैंने पिछले संस्करण में अपने जीवन का उद्देश्य भी आप लोगों के सामने रखा था। संत महात्माओं के संपर्क में आकर, ध्यान धारणा आदि सीख कर जब मन बहुत एकाग्र होने लगा तो उसी अवस्था में मेरा ध्यान अध्यात्म से हटकर सामाजिक जीवन पर भी केंद्रित होने लगा। और तब मैंने निष्कर्ष निकाला कि हमें अपना जीवन सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने में ही लगाना चाहिए। पिछले संस्करण में हमने शरीर की संरचना पर भी बात की थी। जैसे मानव शरीर एक जटिल प्राकृतिक संरचना है ठीक उसी प्रकार हमारा समाज भी व्यक्तियों का, परिवारों का एक विशाल समूह है। दुनिया के सभी मनुष्यों का समूह समाज है। समाज से अलग कोई नहीं रह सकता यानि कोई व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। व्यक्ति परिवार पर और परिवार समाज पर निर्भर करता है। शारीरिक संरचना का उदाहरण देकर भी ऋषि मुनि, संत आदि बात करते है। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी भी समझाते हैं। हम लोगों की चर्चा भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान लोगों को लेकर भी हुई थी। आज भावना प्रधान लोग शराफत की जिंदगी जीते हैं तो बुद्धि प्रदान लोग त्याग को छोड़कर, सेवा भाव को छोड़कर स्वार्थ की जिंदगी जीते हैं। धुर्तता पूर्वक ये लोग शरीफों को ठगते हैं, उनके बीच वर्ग भेद पैदा करते हैं, वर्ग विद्वेष बढ़ाते हैं और वर्ग संघर्ष तक इसे ले जाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। पूरी दुनिया में मानव स्वभाव में स्वार्थ और आक्रोश बढ़ रहा है। हमारा गलत संविधान भी हमारे समाज को टूटने का एवं परिवार के बिखरने का एक बड़ा कारण है। इसलिए हमने एक ऐसे आदर्श संविधान की आवश्यकता पर जोर दिया था कि जिसमें लोक स्वराज पर आधारित शासन प्रणाली हो, अपराध नियंत्रण की गारंटी हो, बढ़ती आर्थिक असमानता में कमी, श्रम–शोषण से मुक्ति और समान नागरिक संहिता की अनिवार्यता हो। यदि यह पांचो तत्व संविधान में नहीं हुए तो संविधान समाज के अनुकूल नहीं होगा और यह बेमतलब कूड़े कचरे जैसे कानूनों का मात्र दस्तावेज बन जाएगा। पिछले महीने हमने आदर्श परिवार एवं उसमें आवश्यक बदलाव की संभावना पर भी बात की थी। आज हम अपनी चर्चा में इस बात को भी शामिल करेंगे कि परिवार व्यवस्था में क्या–क्या बदलाव होने चाहिए। आज उसके आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे।

सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं करीब साढ़े सात सौ करोड़, चाहे वह दुनिया के किसी भी हिस्से के हों या कहीं के भी हो, इन सबके अंदर इन के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। इनके स्वभाव में पहले की अपेक्षा स्वार्थ बढ़ रहा है और स्वार्थ के साथ–साथ इनका आक्रोश भी बढ़ रहा है और यह प्रतिदिन हो रहा है। आज का हमारा विषय मनुष्य के स्वभाव में आये इस बदलाव पर ही केंद्रित होगा। इस बदलाव का क्या समाधान है इस पूरे घंटे के दौरान हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यह बात तो निर्विवाद है कि स्वार्थ की भावना लोगों के अंदर बढ़ रही है। मनुष्य के जरूरत की सारी सामग्री इस धरती पर मौजूद है लेकिन किसी स्वार्थी के स्वार्थ को पूरा करने में यह पूरी धरती भी कम पड़ जाएगी। कहाँ जाता है कि किसी लोभी के लोग को भगवान भी पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर इस धरती की क्या बिसात! यह धूर्तता, यह स्वार्थ–आक्रोश ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रमजीविओं में है और बुद्धिजीवियों में नहीं। इसका प्रकोप तो हर व्यक्ति पर पड़ा है और वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोग ग्लोबल वार्मिंग पर बड़ी चिंता करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन निकाले जाते हैं, सारी दुनिया में राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार होते हैं, बड़े–बड़े राष्ट्राध्यक्ष और उद्योगपति, बुद्धिजीवी, समाजसेवी आदि इकट्ठे बैठते हैं, घंटों चर्चा करने के बाद घोषणाएं करते है लेकिन किसी का भी ध्यान मनुष्य के स्वभाव में आए परिवर्तन पर नहीं जाता है। लोगों के अंदर स्वार्थ बढ़ा तभी तो वह सब कुछ अपने जिम्में लेना चाहता है और स्वार्थ की पूर्ति ना होने पर आक्रोशित होता है। क्रोध और हिंसा का सहारा लेता है। छोटे–बड़े सभी इसी स्वार्थ और स्वार्थ आधारित आक्रोश से ग्रस्त हैं। कोई किसी के लिए त्याग भाव रखता ही नहीं, सभी अपने अधिकारों की चिंता करते हैं अपने कर्तव्य की नहीं। वर्तमान में नेता लोग जो कर्तव्य करते भी हैं वह जनता को सिर्फ दिखाते हैं। वह तो सिर्फ नाटक बाजी है। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के स्वार्थ पर आक्रोश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन आक्रोश और हिंसा भाव पर मनुष्य के स्वार्थ का योगदान अवश्य ही होता है। जितना बड़ा उसका स्वार्थ होगा उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य उतना ही ज्यादा हिंसा का अथवा नीति–नियमों की अवहेलना का सहारा लेते हैं, कानून को धोखा देते है। यह सब तो होता है हमारे समाज में लेकिन किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है। लोगों के अंदर व्यक्तिवाद और परिवारवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ चुका है कि करीब–करीब हर व्यक्ति समाज के प्रति पूर्णतः गैर–जिम्मेदार हो गया है।

अब पहले हम लोगों को विचार करना चाहिए कि यदि इसी तरह लोगों का स्वार्थ बढ़ता चला गया तो इसके क्या दुष्परिणाम समाज को भुगतने होंगे? देखिये, आज जो भी व्यवस्था चल रही है चाहे परिवार की व्यवस्था हो या देश की व्यवस्था हो अथवा समाज की, ये सारी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सभी जगह व्यक्ति ही तो काम कर

रहे हैं और जब प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थ निहित रहेगा तो उसके दुष्परिणाम भी होंगे और अन्ततः समाज को ही भुगतना होगा। पहले तो सुनने में आता था और हम लोग देखे भी हैं कि पहले अपनी–अपनी पीढ़ी के लोगों में आपसी टकराव होता था। जैसे दादा और दादा के भाइयो में भले ही लड़ाई होती थी लेकिन पिताजी में और चाचा में कभी–कभार ही आपस में टकराव होता था। अब तो स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि बाप–बेटे में भी टकराव होता है, पति–पत्नी में भी टकराव देखा जाता है जो अब सामान्य बात है। परिवार में एक–दूसरे की उपेक्षा अवहेलना और इकट्ठे होने पर लड़ना–झगड़ना अब आम बात है। जब किसी घर में नई बहू आती है तो बड़े धूमधाम से उनका स्वागत होता है लेकिन साल भर छः महीने गुजरते–गुजरते कुछ ना कुछ कानाफूसी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो ही जाता है। यह गड़बड़ी या तो वह नई बहू खुद करती है अथवा अपने पति को समझाना शुरू कर देती है और देखिए वहीं से स्वार्थ शुरू हो जाता है। इस तरह स्वार्थ का नींव पड़ जाना घर–घर की कहानी है। यदि आपने किसी को थोड़ा–सा भी पावर दिया उन्हें सीएम, पीएम आदि कुछ बना दिया या कोई अधिकारी बन गए तो देखिए कि उनका स्वार्थ कैसे उभरकर सामने आता है। दुनिया भर के चाहे जितने भी राजनेताओं का नाम गिना लीजिए सब के ऊपर कुछ ना कुछ स्वार्थपूर्ण घपलों का आरोप है। हमारे धर्म गुरु स्वार्थ में पड़ जाते हैं, हमारे राजनेता भी स्वार्थ में पड़ जाते हैं और हमारे समाज नेता भी स्वार्थ में पड़कर कुछ ना कुछ घपला करते ही रहते हैं और पता नहीं क्या–क्या करते हैं। नैतिकता और मर्यादा का उन्हें कोई ख्याल नहीं बस उन्हें तो सिर्फ स्वार्थ पूर्ति से मतलब है चाहे इसके लिये उन्हें जो भी करना पड़े।

आज से लगभग 60 साल पहले की पीढ़ी और आज की नई पीढ़ी में हम तुलना करें तो दोनों में अंतर साफ–साफ दिखता है कि पहले लोगों में ईमानदारी थी, लोग इतने स्वार्थी नहीं थे, उनमें त्याग भाव बहुत अधिक था और वे समाज में सहायक की भूमिका में थे। लेकिन आज की नई पीढ़ी जिनसे हमें काफी उम्मीद थी वह स्वार्थी सिद्ध हो रहे हैं, लालची सिद्ध हो रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं, और लड़ाई–झगड़े कर रहे हैं। सिर्फ इसी स्वार्थ वृति के कारण से नई पीढ़ी बहुत तेजी से लोभ और आक्रोश से ग्रसित हो रही है जिसका परिणाम समाज को भुगतना पड़ रहा है। अपराध और अपराधियों की संख्या का लगातार विस्तार होते जाना इसी स्वार्थ और आक्रोश का घातक परिणाम है और इससे समाज को दो–चार होना ही पड़ता है। राजनेताओं को तो इस बात का प्रशिक्षण ही दिया जाता है कि करीब से करीबी व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं करना है और हमेशा उन्हें धोखा देने के लिए तैयार रहना है। मतलब साफ है कि राजनेता भी समाज के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं बल्कि वह तो अपने आलाकमान के आदेश पर समाज को तोड़ रहे हैं, वर्ग भेद पैदा कर रहे हैं और दो बिल्लियों के बीच

बंदर की भूमिका में तराजू लेकर बैठे समाज सेवा का दिखावा कर रहे हैं। जनता को धोखा देने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं यह राजनेता लोग। कानून ही ऐसा बनाते हैं कि पग–पग पर शासन प्रशासन को हस्तक्षेप करने का मौका मिले और उस मौके को यह राजनेता लोग अवसर पाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुनाते हैं। स्वार्थ के कारण ही समाज में अनेक समस्याएं बढ़ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं और समाज का पतन हो रहा है। ऐसे हालात में हम आप सबको ही व्यवस्था परिवर्तन का जिम्मा लेना होगा।

व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा यह मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करता है–(1) जन्म पूर्व के संस्कार अर्थात गर्भधारण से लेकर जन्म लेने तक उसके बाद (2) माता–पिता से प्राप्त शिक्षा और संस्कार और (3) फिर जब समाज से घुलना मिलना होता है अर्थात् शिक्षा प्राप्ति का समय होता है जो उसे शिक्षकों से एवं समाज के अन्य लोगों से प्राप्त संस्कार। बच्चे के जन्म में एवं उनके व्यवहार में परिवार की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। मैं तो कहता हूँ कि दो तिहाई भागीदारी परिवार की होती है। इसलिए उसके व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा बनती है। अब सोचिए कि यदि बच्चे के माता–पिता ही स्वार्थी होंगे तो उसका असर बच्चों पर क्यों नहीं पड़ेगा। उनके आनुवंशिक गुण बच्चों में आएंगे ही। बच्चे यदि बीमार, कमजोर या शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं तो इसमें भी परिवार के आनुवंशिक गुण दोषों को ही कोई डॉक्टर भी जिम्मेदार मानते हैं। यह तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है कि परिवार में जैसा वातावरण रहता है और जिस वातावरण में बच्चा पलता है उसका प्रभाव निश्चित रूप से उस बच्चे में देखा जाता है। कहते हैं कि माता किसी बच्चे की प्रथम शिक्षक और परिवार बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला है। तो इस पाठशाला में जो भी पढ़ाई होगी और जैसे शिक्षक से बच्चे का शिक्षण होगा स्वाभाविक रूप से उसमें वैसे ही संस्कार बनेंगे। एक बात मैं और आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ कि पहले बच्चे पाँच साल तक घर में रहते थे, पलते थे और उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने गुरु आश्रम में चले जाते थे। लेकिन अब तो ना ऐसा कोई गुरु का आश्रम है और ना ही ऐसे कोई गुरु जो बच्चों को संस्कारित करें। अब तो वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी ही शिक्षा देते हैं और बच्चों को कोई सामाजिक संस्कार नहीं दे पाते क्योंकि आजकल के शिक्षक स्वयं भी संस्कारी नहीं है। अब वह तो मात्र वेतनभोगी कर्मचारी है। बहुत सारे बच्चे अपने मजदूर माता–पिता के साथ कार्य स्थल पर देखे जाते हैं, मजदूरी कार्य में हाथ बटाते हुए मिलते हैं इस परिस्थिति में अच्छे संस्कार की बात सिर्फ कल्पना है जिसे कभी हकीकत में नहीं बदला जा सकता।

एक परिवर्तन समाज में और देखा गया है कि पहले हमारा समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था ऐसी वर्ण व्यवस्था पूरे दुनिया में कहीं नहीं थी। यह

सिर्फ भारतीय समाज की विशेषता थी जहाँ गुण आधारित समाज रचना की गई थी। अर्थात् व्यक्ति में जिस प्रकार के गुण विकसित होंगे वह उसी तरीके का काम समाज में करेंगे। काम करने का अर्थ आर्थिक रूप से कम सामाजिक व्यवस्था में यथायोग्य सहभागिता के रूप से ज्यादा मान्य था। बुद्धिजीवी लोग अर्थात् गुण प्रधान लोग मार्गदर्शक की भूमिका में समाज की सेवा करते थे। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 10 प्रतिशत थी। रक्षक प्रकृति के लोग जो अनुपात में लगभग 20 प्रतिशत थे समाज को सुरक्षा देते थे, बाहरी आक्रमण से समाज को बचाते थे। पालक प्रकृति के लोग जिनकी संख्या लगभग 30 प्रतिशत थी व्यवसाय के माध्यम से समाज को साधन उपलब्ध कराते थे और बाकी बचे हुये लगभग 40 प्रतिशत आबादी, जो इन तीनों कार्यों को नहीं कर पाते, वह श्रम–आधारित कार्य अर्थात समाज की छोटी–छोटी जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन अब तो सभी वर्णों का एक ही लक्ष्य बन गया है अर्थ उपार्जन करना। अधिक से अधिक लाभ कमाना, जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहे राजनीति हो, धर्म हो, समाज सेवा हो, सबका व्यवसायीकरण हो गया है। अब राजनीति समाज सेवा के लिए नहीं होती है, धर्म कार्य समाज में शांति सद्भाव के लिए नहीं होता है, समाज सेवा भी समाज सेवा के लिए नहीं होती है बल्कि इन सब के पीछे लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। यदि समाज को दिशा निर्देश देने वाले, समाज का मार्गदर्शन करने वाले कोई ना रहे तो समाज का भटकना, समाज का पतन होना निश्चित था और वही हुआ।

एक और कारण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि पहले परिवार का उत्तरदायित्व यानी परिवार चलाने की जवाबदेही बच्चों को धीरे–धीरे दी जाती थी। एक तरफ उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा जाता था और बड़े–बुजुर्ग अपने उत्तरदायित्व से धीरे–धीरे मुक्त होते जाते थे। यह एक तरीके से परिवार का चार्ज देना माना जाता था। लेकिन अब इस स्वार्थ भाव ने व्यक्ति को ऐसे जकड़ लिया है कि कोई भी अपना रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहता। सत्तर साल की उम्र हो गई है, अस्सी साल की उम्र हो गई है, पच्चासी साल की उम्र हो जाती है लेकिन रिटायरमेंट नहीं लेंगे। अगली पीढ़ी को अपनी जवाबदेही नहीं सौप पाएंगे और नई पीढ़ी भी स्वार्थवश जल्दी से जल्दी सभी संसाधनों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते रहते हैं। तो समझ लीजिए कि यह जो आज परिवार में ऐसी स्थिति दिख रही है वह समाज की बदतर हालत है और इसके पीछे स्वार्थ की भावना काम कर रही है। इस स्वार्थ की ट्रेनिंग भी उन्हें परिवार से ही मिल रही है। समाजिक परिस्थितियों के आधार पर बच्चों को स्वार्थ की ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें सिखाया जाता है कि हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। जरा सी आपने गलती की कि दोस्तों से भी धोखा मिल जाएगा। धर्म में देखिए, राजनीति में देखिए, हर जगह पर स्वार्थ की ट्रेनिंग मिल रही है। यह भाव कोई ऊपर से नहीं आ

रहा है और ना ही कोई ऊपर से लेकर आ रहा है बल्कि इसकी ट्रेनिंग तो उसके गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाती है और फिर वही बच्चा बड़ा होकर अपने आने वाली नई पीढ़ी को भी ट्रेनिंग देता है। अब पीढ़ी–दर–पीढ़ी यदि स्वार्थ को ही सिखाया जाए तो इसका परिणाम समाज पर पड़ेगा ही पड़ेगा। दस–बीस साल बाद आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा ही ट्रेनिंग मिलेगा और भविष्य में आने वाले समाज की संरचना भी इसी तरह की होगी। यह बहुत खतरनाक परिस्थिति है जिसने दुनिया की आबादी के अंदर स्वार्थ का भाव पैदा कर दिया।

हम लोग जानते हैं कि भारत अनेक वर्षों तक विदेशी ताकतो का गुलाम रहा है। अनेकों आक्रमणकारियों के आक्रमण को इस देश ने झेला है। उनके लूटखसोट और अत्याचार को हमने झेला है। शक, हूण, कुशाण, मंगोल आदि अनेक आक्रमणकारी भारत आए और लूटखसोट के बाद चले गए। बाद में मुगलों ने करीब 700 वर्षों तक भारत पर अपना राज किया और मुगल शासन के अंत से स्वतंत्रता प्राप्ति तक यानी 1947 तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा। कहते हैं कि आर्थिक गुलामी और सामाजिक गुलामी से भी बड़ी मानसिक गुलामी होती है। जो भारत कभी विचारों का निर्यात किया करता था वह मानसिक रूप से इतना कमजोर पड़ गया कि हम आंख बंद कर पश्चिम की नकल करने लगे। पश्चिम ने जो कहा उसे हमने स्वीकारा हम उसके एक तरह से पिछलग्गू बन गए। ऐसा लगने लगा कि हमारे अंदर विचार करने की कोई क्षमता ही ना रही हो। पश्चिमी प्रभाव में आकर लोग व्यक्ति प्रधान हो गए, हमारी पारिवारिक व्यवस्था चरमरा गई, सामूहिक संपत्ति की जगह व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता दे दी गई और षडयंत्रपूर्वक परिवार और समाज में शासन का हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया। हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर अंकुश लग गया। हम अपना कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं कर सकते हैं। गांधीजी पश्चिम संस्कृति के इस प्रभाव को बखूबी समझते थे इस लिये उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था। लेकिन गांधी जी के जाते ही उनका यह सिद्धांत भी चला गया और पश्चिमी संस्कृति के सारे सिद्धांत जो परिवार, समाज तोड़क थे उन्हें संविधान में जगह दी गई। संविधान में परिवार को मान्यता ना देकर व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया गया। जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली जबकि परिवार को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए थी क्योंकि परिवार ही किसी समाज की प्राथमिक इकाई होती है। व्यक्तिगत संपत्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मान्यता ने व्यक्ति के अंदर स्वार्थभाव को बढ़ाने में आग में घी डालने जैसा काम कर दिया और इस वजह से परिवार और समाज टूटता चला गया। इस स्वार्थभाव ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आक्रोश और लोभ, क्रोध और हिंसा को लगातार बढ़ावा दिया। जरा–जरा सी बात पर लोग संवेदनहीन व्यवहार करने लगे हैं। घर–घर में, गांव–गांव में नाते रिश्तेदारों में

संदेह का वातावरण बनाने में व्यक्ति की इस आर्थिक स्वतंत्रता ने मुख्य भूमिका निभाई। अब तो राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्र से लड़े जा रहे हैं। स्वार्थ की भूख ना किसी की मिटी है और ना मिटेगी। आज रूस और यूक्रेन युद्ध की बहुत चर्चा सुनते हैं। यह क्या है, सिर्फ सत्ता की लड़ाई। दुनिया में सर्वशक्तिशाली बनने की महत्वाकांक्षा के कारण एक बार विश्व युद्ध हुआ था। लोगों ने कहा अब आगे ऐसा युद्ध नहीं होगा लेकिन पुनः दूसरा विश्व युद्ध हुआ। बीस सालों के अंतराल में ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। करोड़ों लोग मरे, करोड़ों लोग घायल हुए, जन–धन की अपार क्षति हुई। परमाणु बम फूटे और लाखों मरे लाखों विकलांग हुए। युद्ध की विभीषिका से आहत सारी दुनिया ने कहा कि अब आगे कोई विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के रूप में यह जो युद्ध शुरू हुआ है इसके लपेटे में सारी दुनिया आ सकती है। एक से एक महारथी, शक्ति संपन्न देश चीन, उत्तर कोरिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ईरान सब अपने–अपने तरीके से ताल ठोक रहे हैं। कोई किसी को सेकंडो में नष्ट कर देने की धमकी दे रहा है तो कोई मिनटों में पूरे के पूरे देश को मिटा देने की धमकी दे रहा है। मुझे तो लगता है कि किसी प्राकृतिक संसाधन के लिए अथवा पानी हवा के लिए कोई युद्ध नहीं होगा लेकिन यदि मानव स्वभाव के अंदर आए इस स्वार्थ और आक्रोश पर नियंत्रण नहीं हुआ तो अब तक जितना खतरनाक और विनाशकारी विश्व युद्ध नहीं हुआ है मानव समाज को उससे भी ज्यादा भयानक और विध्वंसकारी विश्वयुद्ध को अपने सामने देखना होगा। मानव स्वभाव की कमजोरी यह आक्रोश विश्वयुद्ध अवश्य ही करा देगा। मैंने तो एक कहावत सुनी है कि पाँच साधु एक ही कंबल में एक साथ रात गुजार सकते हैं लेकिन पूरे राज्य में दो राजा एक साथ नहीं रह सकते। वास्तविक समस्याओं से हमारा ध्यान हटाकर यह बुद्धिजीवी राजनेता पर्यावरण की ओर ले जाते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव में ताप वृद्धि की बात नहीं करना, मानव स्वार्थ में वृद्धि की बात नहीं करना और पर्यावरण की बात कह कर दिग्भ्रमित करना इनकी बहुत बड़ी नौटंकी है। मैं 1977 से यह सब लगातार देख रहा हूँ कि आपसी टकराव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है लेकिन भारत में तो यह समस्या बहुत ही गंभीर स्तर पर है। 1977 की बात मुझे याद है उस समय समाज में ज्यादा गरीबी थी, लोगों का जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं था, उन्हें साधन भी ज्यादा उपलब्ध नहीं थे, बहुत कठिन जिंदगी थी लोगों की, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति काफी कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपने नेताओं पर पूरा विश्वास था। आज लोगों की आर्थिक हालत अच्छी है, उसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत है लेकिन उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है। लोगों के बीच भाईचारा खत्म हो रहा है और अब लोग तो इतने निराश हो चुके हैं कि अब कुछ नहीं होगा जब ईश्वर चाहेंगे तभी कुछ परिवर्तन हो सकता है,

ऐसी भावनाये लोगों में घर कर गयी है। मैं आशावादी हूँ इसलिये इतना निराश नहीं हो सकता कि जीने की कोई आशा ही ना रहे। मैंने तो यही सोचा है और मान लिया है कि ईश्वर की प्रेरणा से ही मैं यह सारा काम कर रहा हूँ। यदि मैं लोगों को जागृत कर पा रहा हूँ और कुछ प्रयास कर रहा हूँ तो वह भी ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है। जब तक लोगों की संपत्ति व्यक्तिगत रहेगी तब तक मनुष्य का स्वार्थ बढ़ता रहेगा इसलिए यदि इस कलयुग को सतयुग में बदलना है तो हमें सबसे पहले इस व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर परिवार की सामूहिक संपत्ति को संवैधानिक मान्यता दिलानी होगी। दूसरी बात है कि समाज में देखा जाए तो हिंसा और आक्रोश ही सारी समस्याओं की जड़ है जो परिवार से लेकर समाज तक को प्रभावित करती है। समाज में दो प्रतिशत व्यक्ति ही आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं शेष अन्ठानवे प्रतिशत व्यक्ति आज भी समाज में शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। अब यदि लोगों में स्वार्थ और आक्रोश की यह बीमारी है तो इन आसुरी शक्तियों पर शक्ति प्रयोग के द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है और इसके लिए हमें दंड व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। पहले (1) पंचायती दंड व्यवस्था, (2) राजतंत्रीय दंड व्यवस्था एवं (3) राजा द्वारा मान्यता प्राप्त दंड व्यवस्था समाज में प्रचलित थी लेकिन अब देश में लोकतंत्रात्मक प्रणाली है और सारी न्याय व्यवस्था पश्चिम से उधार ली गई है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को ना तो समय पर न्याय मिलता है और ना ही अपराधियों के मन में भय पैदा होता है। अब तो स्थिति ऐसी उल्टी है कि शरीफ लोग ही डर रहे हैं या कहिये कि डर कर जीते हैं और अपराधी खुलेआम निर्भय घूमते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी अपराधियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। न्याय व्यवस्था विलंबित और दीर्घसूत्री है जो काफी खर्चीली है। छोटी–से–छोटी घटनाओं के लिए बरसों–बरसों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फलतः न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास घटने लगा है। त्वरित न्याय की कल्पना इस न्याय प्रणाली में बेकार है जिसमें पीड़ित को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। अपराधियों के मन में कोई भय नहीं होता। समाज इस विषय में कुछ कर नहीं सकता अर्थात् समाज तंत्र के सामने लाचार है। इसलिये हमें वर्तमान न्याय प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। और यदि आवश्यकता हो तो गुप्त मुकदमा प्रणाली को भी लागू किया जा सकता है। अंत में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोग जो तीस प्रतिशत परिवार आज भी आदर्श परिवार की भूमिका में हैं ऐसे आदर्श परिवार अन्य परिवारों के लिए प्रेरक का काम करते रहेंगे तभी सुव्यवस्थित समाज के निर्माण की नीव पड़ेगी और हम मानव समाज के सुंदर भविष्य की कामना कर सकेंगे।

कानून और न्याय में फर्क–

देशभर के कुछ वामपंथी न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को एक चिट्ठी लिखी है कि देश में उत्तर प्रदेश की सरकार जो घर तोड़ रही

है या दंड दे रही है वह कानून का खुला उल्लंघन है अतः सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में दखल देना चाहिए। इन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में दखल देने की अपील की। इसमें कुल सोलह लोग शामिल हैं जिनमें चार न्यायाधीश एवं बारह सुप्रीम कोर्ट के बड़े–बड़े वकील हैं। इन लोगों ने यह मांग की है। अब हम इस विषय पर अलग–अलग नजरिये से विचार करेंगे। पहला, कि जिन न्यायाधीशों और वकीलों ने मांग की है उनकी प्रतिबद्धता क्या है और वह कितना निष्पक्ष रहे हैं। उनका जो व्यक्तिगत इतिहास है प्रतिबद्धताओं का उस पर हम एक चर्चा करें। दूसरा, हम यह चर्चा करेंगे कि न्याय क्या है और कानून क्या है। और तीसरा, हम यह चर्चा करेंगे कि नागरिक क्या है और सरकार क्या है और इसके बाद न्यायालय की क्या भूमिका है। नागरिक, सरकार, और न्यायालय तीनों पर भी एक चर्चा कर सकते हैं। अपराध क्या है और गैर कानूनी क्या है, इस तरह के विषयों पर हम विस्तार से आप के साथ चर्चा करेंगे। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने पत्र लिखा है उनकी विश्वसनीयता कैसी है क्योंकि यह लोग पहले भी हमेशा पत्र लिखते रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो वामपंथी हैं जो जेएनयू संस्कृति से पले–बढ़े हैं और उसी आधार पर इनको प्रमोशन वगैरह मिले इस लिये और इनकी प्रतिबद्धता वामपंथी विचारों के साथ बनी रही जैसे प्रशांत भूषण या शांति भूषण, इंदिरा जयसिंह आदि। यह सब नामी वकील माने जाते हैं न्यायाधीशों में भी दो–तीन लोग इस तरह के नामी माने गए हैं इस मामले में जैसे सुदर्शन रेड्डी, गांगुली चंदू आदि। यह कोई पहली बार इन लोगों ने पत्र लिखा नहीं है यह तो हमेशा ही ऐसा करते आए हैं। मोदी जी जब से आये हैं यह यदा–कदा साल में एक ना एक पत्र तो लिख ही देते हैं। और कितना वैल्यू होता है इन पत्रों का यह आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई है और यह शांति भूषण, प्रशांत भूषण जैसे और भी जो वकील हैं उसमें कुछ आईएएस, आईपीएस आदि भी जुड़े हुए हैं। अभी–अभी दो महीने पहले ऐसे ही 108 लोगों ने पत्र लिखा था जबकि उनकी विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध रही है। एक प्रकार से वामपंथी विचारों के प्रति यह हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। इसिलिये यह इनका व्यक्तिगत मामला हो गया। अभी तक इस मामले में सोलह लोगों ने पत्र लिखा है। मान लीजिये कि पच्चीस दक्षिणपंथी लोग एक दूसरा पत्र लिखते हैं तो काउंटर हो जाएगा। इस पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन एक प्रश्न दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है कि न्याय क्या है और कानून क्या है। यदि न्याय और कानून इन दोनों के बीच टकराव हो जाए तो न्यायपालिका को कब न्याय का साथ देना चाहिए और कब कानून का साथ देना चाहिए यह एक गंभीर प्रश्न है। एक बात आप समझ लीजिए यदि कोई अपराधी बार–बार न्यायालय से कानूनी प्रक्रिया के कारण निरपराध छूट जाता है और ऐसा समाज में समझा जाता है कि यह अपराधी है तो उसको यदि

हमारी सरकार गैर–कानूनी तरीके से फर्जी मुठभेड़ में दंड दे दे तो यह दंड कोई अपराध नहीं माना जाएगा भले ही यह गैर–कानूनी कार्य माना जाएगा। यहाँ न्याय हुआ है और अपराधी को दंड मिला है क्योंकि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिये। आमतौर पर यह माना जाता है कि अपराधी को दंड कानून सम्मत तरीके से मिले तो न्याय कहलाता है। अर्थात,कानून हमेशा न्याय के साथ होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर अपराधी को दंड गैर कानूनी तरीके से भी मिला तो भी न्याय हुआ, क्योंकि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। कानूनी या गैर कानूनीढंग तो दो तरीके हो गए। मतलब दंड मिला तो न्याय तो हुआ, लेकिन गैर–कानूनी तरीके से हुआ। इसमें अन्याय कहां हुआ है। मान लीजिए कि एक अपराधी अपराध करने के बाद न्यायालय से निर्दोष सिद्ध हो जाता है तो समाज और पीड़ित के साथ यह अन्याय हुआ जो कानून सम्मत हुआ। अब उसको अगर पुलिस ने मार दिया तो यह गैर कानूनी हुआ लेकिन न्याय हुआ। इस संबंध में सोचना पड़ेगा कि न्यायपालिका इस मामले में किस प्रकार का हस्तक्षेप करेगी। न्याय और कानून के बीच में तो न्यायपालिका को अंतर करना ही चाहिए। परंतु लोग यह समझते ही नहीं है तो हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लोग जो रिटायर्ड हो चुके है उनको भी यह पता ही नहीं है कि गैरकानूनी और अन्याय तथा कानूनी और न्याय इन दोनों में क्या अंतर है। अर्थात, यह कतई जरूरी नहीं है कि जो चीज गैर कानूनी हो वह अन्याय भी हो अथवा, जो चीज कानून सम्मत हो वह न्यायपूर्ण ही होगी। लेकिन, पता नहीं कैसी पढ़ाई करते हैं यह लोग।

तीसरी बात यह कि एक नागरिक और एक संवैधानिक इकाई में भी अंतर करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर बल प्रयोग करना अपराध है। अगर किसी नागरिक ने किसी पुलिस वाले पर आक्रमण किया तो यह तो बहुत बड़ा गंभीर अपराध हो गया क्योंकि पुलिस वाला यहाँ दोहरी भूमिका में है। एक ही साथ वह एक व्यक्ति भी है और सरकारी मशीनरी का हिस्सा भी है। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वह मात्र अपराधी है। पुलिस वाले ने अगर उस अपराधी को पीट दिया तो इसमें अपराध कहां हो गया, यह तो गैर–कानूनी कार्य हुआ। हाँ, अगर पुलिस वाला किसी निर्दोष को पीट देता है तब यह विचार करना पड़ता है कि पुलिस वाले ने जनहित में उस निर्दोष को पीटा है या व्यक्तिगत स्वार्थ में। तो कोई निष्कर्ष लेने के पहले इन तीन बातों को अब ध्यान में रखना चाहिये कि किसी पुलिस वाले ने किसी अपराधी को पीट दिया तो यह गैर कानूनी कार्य कहलायेगा। किसी पुलिस वाले ने यदि किसी निर्दोष को जनहित में पीट दिया, गलती से पीट दिया तो यह उसका गैर कानूनी कार्य माना जायेगा और अगर किसी पुलिस वाले ने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर किसी निर्दोष व्यक्ति को पीट दिया तो वह अपराध होगा। यह एकदम साधारण बात है। अब ये लोग इतना भी नहीं

जानते हैं कि जिस मामले में इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है वह मामला तो यही है ना कि कुछ अपराधी वहां पत्थर चला रहे थे, लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे थे और वहाँ की सरकार ने इन अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिये गैरकानूनी तरीके से उनका घर ढहा दिया। भाई, किसका घर गिरा दिया अपराधियों का, न कि किसी निरपराधी का। सरकार ने उन अपराधियों का घर गिराया जिन्होंने पत्थर चलाये थे और जिन्होंने पुलिस वालों को भी पत्थर मारे थे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह घर गिराया गया वह गैरकानूनी हो सकता है लेकिन अपराध नहीं है और जिन लोगों ने पत्थर चलाया उन्होंने हर तरह से अपराध किया। अगर कोई गैर–कानूनी कार्य किया गया है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने के लिये आप स्वतंत्र है। पुलिस वाले ने जरा भी अपराध तो किया नहीं है सिर्फ सरकार ने घर गिरा दिया है आपका। इसमें कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि आप तो स्वयं अपराधी थे। अगर आपने पुलिस वाले को पत्थर मारे हैं तो सिर्फ गैर–कानूनी कैसे माना जाएगा यह तो अपराध हुआ और अगर पुलिस वाले ने आप को पीट दिया तो इसमें तो कोई अपराध हुआ ही नहीं, यह तो एक गैर–कानूनी कार्य हुआ। न्यायाधीशों को, देश के बड़े–बड़े वकीलों को यही नहीं पता है कि पुलिस वालों पर पत्थर चलाना एक गंभीर अपराध है। पता नहीं कहां से क्या–क्या पढ़ कर देश के बड़े–बड़े न्यायाधीश और वकील बन गए है। पत्थर मारने जैसे गंभीर अपराध के समर्थन में आप लिख रहे हैं, पत्थर मारने वालों के पक्ष में अगर हमारे देश के न्यायाधीश हो सकते हैं तो यह बहुत आश्चर्य की बात है। इन लोगों को प्रशासनिक व्यक्ति पर पत्थर चलाना अपराध है यह पता ही नहीं है। कानून और न्याय के बीच अगर टकराव होता है तो न्यायपालिका को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से सोचना चाहिए। चूंकि आप न्यायाधीश हैं इस लिये एक साथ ही आपकी दो भूमिकायें हैं। एक तरफ आप न्याय करते है और दूसरी तरफ फैसला। न्याय और फैसला यह दोनों अलग–अलग है। न्याय और फैसला को पहले आप समझ लीजिए। न्यायाधीश की भूमिका में आप कानून के अनुसार फैसला करने के लिए बाध्य है। मतलब जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। न्यायपालिका न्याय को परिभाषित नहीं कर सकती। विधायिका न्याय को परिभाषित करेगी। विधायिका न्याय की जो परिभाषा बनाती है उस परिभाषा के अनुसार ही न्यायालय फैसला करता है। सोचने की बात है कि जब न्यायालय सिर्फ फैसला ही करता है तो यह न्यायालय कैसे हो गया। सिर्फ एक मामले में न्यायालय को विशेष अधिकार प्राप्त है और वह मामला है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता हो अर्थात व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका न्याय करेगी क्योंकि वहाँ वह कानून से बंधी हुई नहीं है, न्यायपालिका को अपने विवेकपूर्ण निर्णय का अधिकार होता है। यह तो एकदम साधारण सी बात है। न्यायपालिका संविधान के अनुसार ही

निर्णय करेगी लेकिन यदि संविधान का कोई प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका संविधान में जो लिखा हुआ है उसको भी रिजेक्ट कर सकती है। वास्तव में यही तो न्यायालय का विशेषाधिकार है। सिर्फ एक मामले में अर्थात स्वतंत्रता हनन के मामले में, बाकी बचे सारे मामलों में न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। इन सब मामलों में संविधान ही सर्वोच्च है। केवल इसी एक मामले में न्यायालय को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। अब प्रश्न यह उठता है कि न्यायालय किन परिस्थितियों में न्याय कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मामले जो लगभग निन्यान्वे प्रतिशत के आस–पास हैं, न्यायालय कानून के अनुसार काम करने को बाध्य है। दिक्कत यह आ रही है कि जो पुलिस है या जो सरकार है वह एक संवैधानिक इकाई है। अगर कोई सरकार गैर–कानूनी कार्य करती है तो आप उसके विरुद्ध केवल न्यायालय जा सकते हैं, न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाल सकते। इन लोगों ने जो किया है वह गलत किया है। न्यायपालिका के ऊपर अपराधियों के पक्ष में, पत्थर चलाने वालों के पक्ष में, आग लगाने वालों के पक्ष में यह सब मिलकर दबाव डाल रहे हैं। आपको सरकार का विरोध करने की पूरी स्वतंत्रता है। आप जितने भी वामपंथी है, मुसलमान हैं, एक तो आप सरकार के विरोधी हैं इसका मतलब ये नहीं कि सरकार का विरोध करने के लिए आप अपराधियों का समर्थन करेंगे। तब आप कैसे न्यायाधीश हैं। इसका मतलब है कि आप जब तक न्यायपालिका में रहे तब तक आप ने पक्षपात किया, न्याय तो किया ही नहीं। वहाँ रहकर आप एक तरफा फैसला देते रहे, यह तो सीधा–सीधा आरोप आप पर लग रहा है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी आप पर आरोप लगा रहा हूँ कि न्याय और कानून में अंतर आप नहीं समझते। न्याय और फैसला में अंतर आप नहीं समझते। एक बात है कि आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं और जज बनने के बाद जान–बूझकर आप अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए किसी गुट का समर्थन कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है। चूंकि वह गुट किसी अपराधियों का गुट है इस लिये आपकी निष्ठा पर संदेह होता है। यह तो बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के पूर्व न्यायाधीशों की निष्ठा पर संदेह होता है। इन लोगों ने जो भी किया है वह पूरी न्याय–प्रक्रिया को कलंकित करती है। अपराधियों के पक्ष में इस तरह से चिट्ठी लिखकर के आप ने किसी भी रूप में सही काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई अपराध नहीं किया है। यह हो सकता है कि उसका कार्य गैर–कानूनी हो, तो आप कानून सम्मत तरीके से न्यायालय जा सकते हैं। आप लोअर कोर्ट जाइए, सेशन कोर्ट जाइए, लेकिन कानून के हिसाब से जाइए। आप पूर्व न्यायाधीश है, आप वकील हैं, इसलिए आप न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं यह तो बहुत गंदी बात है। मेरा यह कहना है कि न्याय और कानून के बीच अंतर करने की जरूरत है। हम आमतौर पर लोगों को सलाह देते हैं कि चाहे

सरकार हो या पुलिस जो भी प्रशासनिक इकाई है, यदि वह गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर देती है तो आपको सबसे पहले विचार करना होगा कि जो मारा गया वह आपकी व्यक्तिगत जानकारी में निर्दोष व्यक्ति होना चाहिये। मैं कानूनी जानकारी नहीं कह रहा हूँ आपकी व्यक्तिगत जानकारी में अगर वह व्यक्ति निर्दोष है तो आप उस के पक्ष में खड़े हो सकते हैं लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप से जानकारी होनी चाहिए कि यह आदमी निर्दोष है। दूसरी स्थिति में, यदि वह आपका निकट संबंधी है तो भी आप उसका पक्ष ले सकते हैं। तीसरी स्थिति में यदि आप उसके वकील है या कोई पेशेवर हैं तब भी आप उसका पक्ष ले सकते हैं। इन तीनों परिस्थितियों को छोड़कर अगर कोई चौथा पक्ष लेता है कि वह आदमी गैरकानूनी तरीके से मार दिया गया भले ही वह अपराधी था लेकिन आप उसे फिर भी कानूनन नहीं मार सकते थे, मेरे हिसाब से जिस आदमी ने आरोप लगाया है वह अराजक है। बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं। वह अपराधी हैं या नहीं आप कैसे कह सकते हैं। मानवाधिकारवादी कुछ लोग यह धंधा बना लिए हैं। मानवाधिकारवादी तो और किसी नाम पर दस तरह की संस्था बनाकर के देश में दुकानदारी कर रहे हैं। कभी न्याय के नाम पर तो कभी कानून के नाम पर आम जनता को दिग्भ्रमित करना इन सबका पेशा बन गया है। कम–से–कम हमारे पूर्व न्यायाधीशों को तो अपनी इज्जत बचानी चाहिए। आपके साथ न्यायाधीश शब्द जुड़ा हुआ है, आम जनता में आपके लिए सम्मान है और इतना सब होने के बाद भी आप केवल विचारधाराओं के कारण ऐसा कर रहे हैं फिर चाहे वह हिंसा का समर्थक वामपंथी विचारधारा हो या इस्लामिक संगठन, कांग्रेस पार्टी के साथ रुचि रखने वाला कोई समूह या व्यक्ति। इस तरह से अगर आप 'पूर्व न्यायाधीश' शब्द को भी कलंकित करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। आज तो हम बोल रहे हैं कल और दस लोग बोलने लग जाएंगे, बाद में सब बोलने लग जाएंगे आपके खिलाफ। मैं एकदम टू द प्वाइंट आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी हालत में अपराधियों का पक्ष तो लिया ही नहीं जा सकता है जैसा की उत्तर प्रदेश में हुआ। या तो न्यायाधीश उन लोगों को फोन करके कहें जिन लोगों का घर गिराया गया कि पत्थर नहीं चलाएं। या तो उन लोगों को निर्दोष बतावें। मैं जानता हूँ कि ये ऐसा नहीं कह सकते कि वे लोग निर्दोष थे। हम पूर्व न्यायाधीश हैं इसलिए हमारी बात नहीं पकड़ी जाएगी यह विचार छोड़ दीजिये। अब हम लोगों का मार्गदर्शक संस्थान खुल करके मैदान में है। चूंकि हम अपराधियों के पक्ष में नहीं है, हम सरकार के नीतिगत फैसलों के पक्ष में हैं इसलिये इस संबंध में हम तो आपको तकनीकी आधार पर पकड़ेंगे। सरकार अगर किसी निर्दोष को दंडित करेगी तो हम सरकार के खिलाफ हैं और सरकार यदि किसी दोषी को गैरकानूनी तरीके से दंडित करेगी तो हम उसके बीच में दखल नहीं देंगे। उसके बारे में कानून निर्णय करेगा हमें बीच में नहीं कूदना

चाहिये। पूर्व न्यायाधीशों ने जो अपना रेप्यूटेशन बिगाड़ दिया है इस संबंध में मेरी उनको सलाह है कि अब वह थोड़ा–सा भारतीय समाजशास्त्र पढ़ लें। वे पश्चिम की किताबें को अब तक पढ़ते रहे हैं इसलिये ऐसी गलतियां कर रहे है। मेरा मानना है कि भारतीय कानून भारतीय समाज के परिपेक्ष्य में ही बनना चाहिये।

सेक्स और चरित्रःआदर्श बनाम व्यवहारिकताः–

1) पूरे देश में आमतौर पर चरित्र में गिरावट आ रही है और ढोंगी लोग उच्च चरित्रवान दिखने के नाटक कर रहे हैं यह आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है। चरित्र के हर मामले में इतने ऊंचे मापदंड बनाए जा रहे हैं, जिनके आधार पर चरित्रवान होना या बने रहना असंभव है। यह भी एक बड़ी समस्या है। हम भारत के लोग विदेशों की अंधाधुन्ध नकल कर रहे हैं और हम अपनी भारतीय प्रणाली को छोड़ते जा रहे हैं। विदेशों की नकल करते हुए हमने सेक्स संबंधी आचरण के बहुत ऊंचे मापदंड बना दिए जिसका परिणाम हुआ कि बलात्कार बढ़ने लगे। हमारा सोचना गलत है कि उपलब्धता कम कर देने से खपत घट जाएगी। ऐसा सोच कर ही हम बाजार में किसी भी वस्तु की उपलब्धता घटा देते हैं। इससे हमारी खपत तो घटती है लेकिन उसकी चोरी बढ़ जाती है। आपसी व्यवहार में छल–कपट बढ़ जाता है। हमने बिना मतलब शराब के खपत की गलत नीतियां बनाई, बिना मतलब हमने जुआ, गांजा तथा अन्य वस्तुओं पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाए। परिणामस्वरूप इन सब की मांग तो घटी लेकिन इनके मूल्य में बेतहाशा बृद्धि हुयी। इन मामलों में अपराध बहुत अधिक बढ़ते चले गए। इसी तरह हमने वेश्यावृति पर भी प्रतिबंध लगाया। उसका परिणाम उल्टा ही हुआ कि बलात्कार और हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब सेक्स संबंधी अपराध एवं छेड़छाड़ की घटनायें बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने सेक्स शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है को पूरी तरह अनदेखा किया और सेक्स की प्राकृतिक उपलब्धता को बाधित किया। यह जो वस्तु की उपलब्धता बाधित हुई तो उसके कारण पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया और समाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मेरा आप से निवेदन है कि जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं उनकी उपलब्धता को बाधित करना अच्छा नहीं है। सामाजिक समस्याओं का सामाजिक समाधान ही होना चाहिये उसमें कानून का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

2) भारत में बलात्कार नहीं के बराबर होते थे, सहमत सेक्स की पूरी तरह छूट थी और विवाहेत्तर संबंधों को बुरा माना जाता था। ऐसे आचरण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी परिवार पर थी। किसी कानून के द्वारा इसे नियंत्रित करने की बाध्यता नहीं थी। इस तरह के संबंध समाज में छिपा कर रखे जाते थे। पुराने जमाने में विवाहेत्तर संबंधों को बहुत बुरा नहीं माना जाता था। मुझे याद है कि आज से पचास वर्ष पहले

हमारे क्षेत्र में महिला–पुरुष के बीच अवैध संबंधों का रेट हजार में एक या दो से ज्यादा नहीं था। शहर के लड़के गांव में जाते थे और कुछ ले–देकर, खिला–पिलाकर कर भी शारीरिक संबंध बना लेते थे जिस पर समाज को कोई विशेष आपत्ति नहीं होती थी। समय बदलता गया और धीरे–धीरे हमारे समाज में बुराई बढ़ती चली गई और अब तो सहमत सेक्स को इतना ज्यादा कठिन बना दिया गया है कि आज हमारी छोटी–छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। अब तो आमतौर पर बलात्कार के साथ–साथ हत्याएं भी होने लगी क्योंकि आपने सहमत सेक्स को बहुत जटिल बना दिया है। हम सब को समझना होगा कि सेक्स मनुष्य की एक प्राकृतिक आवश्यकता है जिसे आत्म नियंत्रण से ही रोका जा सकता है अथवा समाज अनुशासित कर सकता है लेकिन बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। आपने कानूनन दखल देके, बल का प्रयोग करके बहुत गलती की है। इसीलिए आज समाज में बलात्कार बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस विषय को अपने हाथ में ना लेकर समाज के जिम्मे कर देना चाहिये। सौ दो सौ रूपये में महिला और पुरुष अपनी भूख मिटा लेंगे जिससे आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन बलात्कार खत्म हो जाएंगे। पुराने जमाने को आज आने दीजिए। अमेरिका और ब्रिटेन की पश्चिमी संस्कृति की नकल करना उचित नहीं है। स्त्री–पुरूष के इस संबंध से आज दुनिया परेशान है। हत्याएं भी हो रही हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं, और आप है कि सहमत सेक्स की पहरेदारी कर रहे हैं, उसका रेट बढ़ा रहे हैं। अभी–अभी भारत का कोई सैनिक पाकिस्तान की दो महिलाओं के साथ हनी ट्रैप में पकड़ा गया है क्योंकि आपने भारत में उसकी उपलब्धता को बहुत जटिल बना दिया है। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि बाजार को खुला छोड़ दीजिए, अनावश्यक अभाव पैदा मत कीजिए क्योंकि अभाव पैदा करने से ही समस्याएं पैदा होती हैं। किसी प्राकृतिक भूख को अनुशासित तो किया जा सकता है किंतु शासित नहीं किया जा सकता जैसी मूर्खता हम–आप आज तक भारत में करते रहे हैं।

<u>विचार बिंदुः–</u>

1) जिस समय मुरार जी देसाई की सरकार बनी थी, अटल जी की सरकार बनी थी तब इन दोनों के कार्यकाल में मैं सत्ता के उच्च पदों पर था। उस समय सभी राजनीतिक दलों के बीच एक शालीन समझौता था कि उच्च स्तर पर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं करना है। एक–दो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर ऐसी कोई विशेष घटना नहीं हुई थी जब राहुल, सोनिया या किसी अन्य राजनेता को परेशान किया गया हो। एक बार जरूर इंदिरा गांधी को चरण सिंह ने परेशान किया था और उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा था। इसलिए उस समय यह एक अघोषित समझौता होता था जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते तक चलता रहा। मुझे मालूम है कि किस प्रकार अडवाणी जी

मनमोहन सिंह के पास जाकर के सब काम करा लेते थे लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुये हैं। नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि मैं ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। इसलिए आज सभी राजनीतिक दलों के लोग भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी दो ही चीज जानते हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहो और अगर ये दोनों काम नहीं करना है तो भ्रष्टाचार मत करो। लेकिन हमारे राजनेता भ्रष्टाचार भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को और खासकर नरेंद्र मोदी को गाली भी देते हैं और जेल भी नहीं जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार करना, जेल भी नहीं जाना और भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन नहीं करना –यह तीनों काम एक साथ नहीं हो सकता इसलिए देर–सवेर यह सब के सब जेल जाएंगे और नियमतः भ्रष्ट लोगों को जेल जाना ही चाहिए। सभी राजनैतिक दलों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार है अटल बिहारी बाजपेई, मुरार जी देसाई या मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है।

2) अभी–अभी दो दिन पहले रायपुर शहर के बीचों–बीच एक गली में एक बहरा व्यक्ति सड़क पर साइकिल से जा रहा था। एक लड़की भी अपनी मां को लेकर स्कूटर से उसी रास्ते से जाती है। सड़क पर हार्न बजाती है किंतु वह बहरा व्यक्ति हार्न नहीं सुनता। वह लड़की और उसकी माँ फिसल कर गिर जाती है। वह लड़की उठकर उस बहरे व्यक्ति को मारती है, उसे गिरा देती है और फिर अपने डिक्की में से चाकू निकाल कर लाती है और चाकू से उसका गला रेत देती है। वह बहरा व्यक्ति वहीं मर जाता है। इस घटना के तत्काल बाद उस लड़की के खोजबीन की जाती है और पाया जाता है कि वह लड़की नशा करती है। वह लड़की कई अपराधों के चलते जमानत पर है। वह लड़की बचपन से ही हिंसक प्रवृत्ति की है। उस लड़की को बचपन से ही हिंसा के संस्कार मिले हैं। प्रश्न उठता है उस लड़की को हिंसा के संस्कार कहाँ से मिले। स्वाभाविक है कि जहाँ से भी उसे संस्कार मिले हैं वह संस्कार देने वाले कोई नशेड़ी नहीं है। उस लड़की को कई बार अपराध करने के बाद भी जमानत कैसे मिली इसमें हमारे कानून की कमजोरी है। हमारे न्यायालय इतने कमजोर क्यों है कि कोई भी निर्णय तत्काल नहीं दे पा रहे हैं। इस सारी समस्या के लिए न्यायालय ही दोषी नहीं हैं। दोषी वे सभी है जो हिंसा का प्रचार करते हैं, जो चाकू रखने की सलाह देते हैं, जो लोग कमजोर कानून बनाते हैं, जो न्यायपालिका को अपना काम नहीं करने देते है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह चारों प्रकार के लोग इस घटना के लिए दोषी है। और यह चारों ही अपराधी सारा दोष नशेबाजी पर डाल रहे हैं। सारे अपराधी मिलकर यह प्रचारित कर रहे हैं कि रायपुर शहर में नशा बंद होना चाहिए क्योंकि नशे के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। मेरा फिर से निवेदन है कि हिंसा का समर्थन करने वाले, कमजोर कानून बनाने वाले, चाकू रखने को प्रोत्साहित करने वाले और

न्याय पाने में विलंब करने वाले यह चारों ही वास्तविक अपराधी हैं और इसके लिए इन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इस घटना के पीछे नशे के खिलाफ अभियान चलाना पूरी तरह से गलत है। यह अपराधियों का षड्यंत्र है। इस हत्या के अपराध में उस लड़की के साथ–साथ इन चारों प्रकार के लोगों को भी सह–अभियुक्त बनाने की जरूरत है।

3) मैंने पढ़ा था कि आज से चार महीने पहले कमजोर दिमाग का एक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का था, राजस्थान में घूम रहा था। किसी तथाकथित हिंदू ने उस व्यक्ति से नाम पूछा और वह अपना नाम नहीं बता सका। बस सिर्फ इतनी–सी बात पर उस व्यक्ति को मुसलमान समझ कर पीटा गया और पीटते–पीटते ही उसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में वह मध्यप्रदेश का एक हिंदू था। एक दुसरी घटना के बारे में मैंने आज ही पढ़ा कि एक आईपीएस अफसर के घर के सामने थोड़ी साफ–सुथरी जगह देख कर एक बुजुर्ग मुसलमान नमाज पढ़ रहा था। कुछ गुंडों ने उस नमाज पढ़ते मुसलमान को परेशान किया और यह परेशान करने वाले गुंडे अपने को हिंदू कह रहे थे। इससे मुझे यह पक्का विश्वास हो गया कि हिंदुओं में भी गुंडा–तत्व क्रमशः बढ़ रहा है और मुसलमानों में सरकार के डर के कारण गुंडा–तत्वों की संख्या कम हो रही है। अच्छा होता कि हिंदुत्व के नाम पर इस प्रकार के कलंक से बचा जाए तो हिंदुत्व बच जाएगा अन्यथा यह तथाकथित हिंदू गुंडे हिंदू धर्म को ही बदनाम कर देंगे। मेरा तो यही मत है कि हमें मुसलमानों की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपने हिंदुत्व को बचाने की जरूरत है। हिंदू का अर्थ कोई चोटीवाला मुसलमान नहीं होता।

4) पिछले एक सप्ताह में मैंने देशभर में घटी कुछ घटनाओं का अध्ययन किया। हरियाणा में पुलिस विभाग के डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को कुचल कर मार दिया गया। मारने वाले पत्थर–खदान का काम करते थे। गुजरात में भी एक ट्रैफिक सिपाही को गाड़ी से कुचल कर मार दिया गया। रांची में एक महिला सब–इंस्पेक्टर की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। तीनों ही घटनाओं में एक ही संप्रदाय के लोग शामिल थे। एक चौथी घटना पश्चिम दिनाजपुर जिले की है, जहाँ एक हिंदू महिला टीचर ने अपने स्कूल की एक मुसलमान लड़की को हिजाब पहनने के कारण डांटा और उसका कान पकड़ लिया। अगले दिन शुक्रवार को मध्याह्न दो बजे मुसलमानों की एक भीड़ उस स्कूल में घुस आयी और उस महिला टीचर के साथ मारपीट की गई। यह सभी घटनाएं इस लक्षण को उजागर करती हैं कि अब भारत का मुसलमान अपने मुस्लिम नेतृत्व से विश्वास खोता जा रहा है और उसकी अपनी मूल प्रवृत्ति जागृत हो रही है। राजस्थान में भी जो कुछ हुआ उससे भी यही सिद्ध होता है कि अब भारत का मुसलमान अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के नियंत्रण में नहीं हैं। इन्हीं

मुसलमानों में से एक बहुत छोटा–सा वर्ग जो अति आक्रामक है, वह स्वयं ही कानून तोड़कर अपना जोश दिखाने के लिए आगे आ रहा है। प्रत्यक्ष रूप से इसे अंतिम लक्षण माना जाता है कि जब कोई सैनिक पूरी तरह निराश होकर मरने–मारने के लिए अकेला ही मैदान में कूद पड़ता है। मेरे विचार से यह बहुत अच्छा लक्षण है। अब इस प्रकार के मुट्ठीभर उग्रवादी मुसलमान जेलों में डाल दिए जाएंगे और अप्रत्यक्ष रूप से पूरा भारत ऐसे लोगों से मुक्त हो जाएगा। यह एक गंभीर प्रश्न है कि भारत का मुसलमान कानून की ताकत को भी देख रहा है और जो कुछ कर रहा है उसके परिणाम को भी समझ रहा है। इसके बाद भी यदि इस तरह पुलिस या व्यवस्था के खिलाफ अकेला ही आक्रामक हो रहा है तो यह उसकी मूढ़ता है। भारत के आम लोगों को मेरा यह सुझाव है कि आप आपसी व्यवहार में किसी भी मुसलमान से पूरी तरह सावधान रहें। क्योंकि कौन कब पागल हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सावधानी के नाम पर आप सभी मुसलमानों को एक समान मानने की भूल भी ना करें क्योंकि अब उग्रवादी मुसलमान सिमटते जा रहे हैं। हमें आम मुसलमानों पर प्रत्यक्ष संदेह व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही काफी है कि हम आंतरिक रूप से सावधान रहें और प्रत्यक्ष रूप से अच्छे संबंध बनाकर रखें। जो कोई भी सभी मुसलमानों से दूरी बनाने की बात करते हैं वह स्वयं नासमझ है। इस प्रकार के नासमझ हिंदुओं से हमें सावधान रहना चाहिए।

5) केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद शाजी चेरियन ने एक बयान दिया है कि भारत का संविधान भारत की समस्याओं के समाधान में असफल है इसलिए संविधान में व्यापक संशोधन के लिए देश को सोचना चाहिए। केरल कांग्रेस ने उनके इस विचार को संविधान विरोधी घोषित कर दिया और उनसे त्यागपत्र की मांग की। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया। बेचारे चेरियन जी का कथन सौ प्रतिशत सही होते हुए भी उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा क्योंकि उन्हें पूरी तरह से अलग–थलग कर दिया गया था। लेकिन मेरे विचार में संविधान के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है वह पूरी तरह सत्य है और उसका खुलकर समर्थन होना चाहिए। व्यक्ति की उद्दंडता पर नियंत्रण के लिए कानून बनते हैं। लोकतंत्र में कानून बनाने पर तंत्र का पूरा अधिकार है। तंत्र जो कानून बनाता है वह कानून देश के प्रत्येक नागरिक को मानना ही होगा चाहे वह नागरिक राष्ट्रपति या स्वयं प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह है कि तंत्र के किसी भी विभाग को संविधान के अनुसार ही कार्य करना होगा चाहे वह कैसा भी शक्तिशाली विभाग क्यों ना हो। संविधान और कानून अलग–अलग होते हैं जिसे आज हम भारत में बिल्कुल उल्टा देख रहे हैं। भारत में अनेक लोग खुलेआम कानूनों का उल्लंघन कर

रहे हैं और कानून बनाने वाले संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। चूंकि हमारा संविधान असफल हो चुका है इस लिये उसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। मेरा यह सुझाव है कि संविधान में समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन हो जिसका चुनाव भारत की आम जनता लोकसभा चुनाव के साथ–साथ ही कर दें। इस तरह एक संविधान सभा बन जाएगी और यह संविधान सभा सिर्फ संवैधानिक मामलों में अपना अंतिम निर्णय देगी। जो भी संशोधित संविधान होगा उस संविधान के अनुसार ही तंत्र कार्य करने को बाध्य होगा।

6) एक कहावत है – 'चोर–चोर मौसेरे भाई'। इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि सारे चोर लोग एक ही भाषा में क्यों बोलते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप सोनिया और राहुल पर लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप झारखंड के मुख्यमंत्री पर लगे हैं, ऐसा ही आरोप दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पर भी लगे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की आरोपित हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये जितने भी आरोपित है यह सारे लोग कहीं भी अपने भ्रष्ट आचरण की सफाई नहीं दे रहे हैं। कोई एक भी आरोपित यह नहीं कह रहा है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कोई सच्चाई है। यह बात कोई नहीं कर रहे हैं सब लोग सिर्फ एक ही भाषा बोल रहे हैं कि हमारे साथ बदले की कार्यवाही की जा रही है। सब लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं कि भ्रष्ट लोग तो भारतीय जनता पार्टी में भी है लेकिन सिर्फ विपक्ष के ही भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है यानी पक्षपात किया जा रहा है। अरे भाई! यह बात तो सारी दुनिया साफ–साफ देख रही है। साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक गुट के चोरों को पकड़ा जा रहा है और चोर लोग हैं कि सामने आकर सिर्फ इतने ही सफाई दे रहे हैं कि दोनों गुटों में चोर हैं। हम कोई अकेले नहीं हैं। विचित्र बात है कि हमारे भारत देश के नेता ऐसे संवेदनशील मामलों में जिम्मेदार पदों पर रहते हुये अपनी सफाई ना देकर केवल इतना कह रहे हैं कि सभी नेता चोर हैं और आप एक ग्रुप को पकड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि आप भी उस चोरी में शामिल हैं। मेरे विचार से इस प्रकार की भाषा बोलने वाले हमारे नेता को शर्म आनी चाहिए।